



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277374
CG-DL-E-23102026-277374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 5540]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5757(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 372(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"22	राजस्थान	विशेष न्यायाधीश न्यायालय, (सीबीआई) संख्या 3, जयपुर	जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिले।
		विशेष न्यायाधीश न्यायालय, (सीबीआई) संख्या 2, जयपुर	केवल राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किए गए मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
		विशेष न्यायाधीश न्यायालय, (सीबीआई) संख्या 4, जयपुर	केवल राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किए गए मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
		विशेष न्यायाधीश न्यायालय, (सीबीआई) संख्या 5, जयपुर	केवल राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किए गए मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
		विशेष न्यायाधीश न्यायालय (सीबीआई), जोधपुर	जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिले"

[फा. सं. सी-18015/6/2024-एड.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 372(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 5082(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

S.O. 5757(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the High Court of Rajasthan, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* number S.O.372(E), dated the 5th February, 2016, namely :-

In the said notification, in the TABLE, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“22	Rajasthan	Court of Special Judge, (CBI) No.3, Jaipur	The districts falling in jurisdiction of Rajasthan High Court Bench, Jaipur.
		Court of Special Judge, (CBI) No.2, Jaipur	Will hear transferred cases only as transferred by the Rajasthan High Court.
		Court of Special Judge, (CBI) No.4, Jaipur	Will hear transferred cases only as transferred by the Rajasthan High Court.
		Court of Special Judge, (CBI) No.5, Jaipur	Will hear transferred cases only as transferred by the Rajasthan High Court.
		Court of Special Judge, (CBI), Jodhpur	The districts falling in jurisdiction of Rajasthan High Court, Jodhpur.”

[F. No. C-18015/6/2024-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and lastly amended *vide* number S.O 5082(E), dated the 16th September 2026.